न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 611/2023

भीखीदेवी पुत्री देवाराम पत्नी चैनाराम सोलंकी
निवासी बडेर बास, खरचिया, खैरवा, जिला पाली
हाल मालियों का बास, सांगरिया, तहसील व जिला जोधपुर

अपीलाण्ट ...

ब ना म

1. गंगाराम पुत्र देवाराम माली
2. रामूराम पुत्र देवाराम माली
3. किशनाराम पुत्र देवाराम माली
4. कानाराम पुत्र देवाराम माली
   निवासीगण मालियों का बास, सरकारी स्कूल के पास
   सांगरिया, तहसील व जिला जोधपुर
5. समा पुत्र श्रीराम पौत्री देवाराम पत्नी कैलाश सोलंकी
   निवासी नवानी बेरा, सूरसागर, जोधपुर
6. राजेन्द्र पुत्र पेनाराम व श्रीमती फैफी, दोहित्र देवाराम
7. मूलाराम पुत्र पेनाराम व श्रीमती फैफी, दोहित्र देवाराम
8. राजु पुत्र पेनाराम व श्रीमती फैफी, दोहित्र देवाराम
   निवासीगण मारवाड जंक्शन
   जिला पाली
9. राजस्थान राज्य
   जरिये तहसीलदार, लूणी
   जिला जोधपुर
10. मन भवन प्रोपर्टीज प्रा. लि.
    सिन्धिया हाउस, कनाट प्लेस नई दिल्ली
    जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रीतमसिंह पुत्र सरदार वीरसिंह
    निवासी शिकारगढ, जोधपुर

रेस्पो.....

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी दिनांक 28 नवम्बर 2023 राजस्व अपील संख्या 11/2023 भीखीदेवी बनाम गंगाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री पी.आर. प्रजापत, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री बी.एल.चौधरी, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1 से 4
श्री नवीन शर्मा, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 5
डा. संजना धाणदिया, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 6 से 8
राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 9

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 01 अक्टूबर, 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा राजस्व अपील संख्या 11/2023 भीखीदेवी बनाम गंगाराम आदि में पारित निर्णय दिनांक 28 नवम्बर 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट भीखीदेवी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत एक अपील प्रस्तुत की और म्युटेशन संख्या 118 दिनांक 13 मई 1986 खारिज किये जाने का निवेदन किया। उक्त अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28 नवम्बर 2023 को खारिज कर दी गयी। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने पूर्व में प्रस्तुत अपनी लिखित बहस में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए जाहिर किया कि ग्राम भाकरासनी स्थित आराजी खसरा संख्या 74 रकबा 33 बीघा व खसरा संख्या 81 रकबा 39 बीघा 05 बिस्वा कुल रकबा 72 बीघा 05 बिस्वा बारानी सोयम अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या 1 से 8 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जो वक्त सेटलमेण्ट से राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान के पूर्वज देवाराम की खातेदारी में दर्ज रही, और देवाराम पुत्र भेराराम के देहन्त के बाद उत्तराधिकार के आधार पर उक्त भूमि में अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 1 से 8 को अधिकार अर्जित हुए। इसी अनुसार जरिये म्युटेशन राजस्व रिकार्ड में अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 1 से 8 के पक्ष में इन्द्राजात होने चाहिये थे, मगर रेस्पो. संख्या 1 से 5 ने अपीलाण्ट व अन्य को मुगालते में रखते हुए उक्त भूमि जरिये म्युटेशन संख्या 118 अपने नाम दर्ज करवा ली, जिसकी जानकारी होने पर अपीलाण्ट, जो उक्त देवाराम पुत्र भैराराम की जायन्दा पुत्री है, ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील पेश की। जो जरिये अपीलाधीन निर्णय प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मात्र मियाद जैसे तकनीकी आधार पर खारिज कर दी गयी। जो न्यायोचित नहीं है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार मृतक देवाराम की जायन्दा पुत्री होने के आधार पर अपीलाण्ट का वादग्रस्त भूमि में पुश्तैनी आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिस के रूप में हक–हिस्सा बनता है। जिसे नजरअंदाज करते हुए पारित म्युटेशन संख्या 118 प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी होने से किसी भी स्तर पर अपास्त किया जा सकता है और ऐसे मामले में मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। म्युटेशन संख्या 118 स्वीकृत किये जाने के पूर्व मृतक खातेदार देवाराम के विधिक वारिसान बाबत समुचित जांच नहीं की गयी, न ही अपीलाण्ट को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया, जबकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 121 से 126 के प्रावधानों अनुसार ऐसा किया जाना नितान्त आवश्यक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 40 के क्रम में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत रेस्पो. संख्या 1 से 5 के साथ–साथ अपीलाण्ट का नाम भी जरिये

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

म्युटेशन राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी बाबत दर्ज किया जाना चाहिये, मगर ऐसा नहीं कर विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज किया गया है। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि विवाहोपरान्त अपीलाण्ट अपने ससुराल में निवास करती है, किन्तु वर्षाकाल में आकर वादग्रस्त भूमि पर अपने हिस्से अनुसार काश्त करती है, इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से बाबत अपीलाण्ट का मौके पर भौतिक कब्जा काश्त कायम है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इन सभी तथ्यों, परिस्थितियों एवं विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए मात्र मियाद जैसे तकनीकी आधार पर जरिये अपीलाधीन निर्णय अपीलाण्ट की अपील खारिज कर दी गयी। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी और विलम्ब कण्डोन किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम में विलम्ब के समुचित एवं संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये। उक्त प्रार्थनापत्र में म्युटेशन संख्या 118 बाबत सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 15 जून 2023 अंकित की गयी, जबकि उक्त म्युटेशन बाबत स्वयं अपीलाण्ट की सहमति रही है और उसे प्रारम्भ से ही जानकारी रही है। पूर्व में अपीलाण्ट के पुत्र कालूराम द्वारा रेस्पो. संख्या पांच के आम–मुख्तयार की हैसियत से अपीलाण्ट के पक्ष में वादग्रस्त आराजी में रेस्पो. संख्या 5 के हिस्से की भूमि में से दो बीघा भूमि बाबत दिनांक 23 अप्रेल 2018 को निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख (जिसके संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है) में वादग्रस्त आराजियात में रेस्पो. संख्या 5 समादेवी का ⅕ हिस्सा होने का उल्लेख किया गया है और उक्त पंजीबद्ध विक्रय–विलेख पर स्वयं अपीलाण्ट का भी अंगुष्ठ–निशान बतौर केता किया हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त दिनांक को भी तर्क के लिए प्रथम जानकारी की दिनांक माना जावे तो भी प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद विलम्ब से पेश की गयी है। जिसे मियाद–बाधित मानते हुए खारिज करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता–रेस्पो. की ओर से 2021(2) सीसीसी 765 (म.प्र.), 2022(2) सीसीसी 158 (सर्वोच्च न्याया.), 2022(1) सीसीसी 534(सर्वोच्च न्याया.), 2003(1) आरआरटी 650, 2003(1) आरआरटी647, 2003(1) आरआरटी 77 एवं 2007(3) सीसीसी 661 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट भीखीदेवी द्वारा म्युटेशन संख्या 118 दिनांक 13 मई 1986 खारिज किये जाने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील 28 जून 2023 को प्रस्तुत की और अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम पेश किया, जिसमें उक्त म्युटेशन बाबत सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15 जून 2023 को होना अंकित

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

किया गया है। किन्तु इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि पूर्व में अपीलाण्ट के पुत्र कालूराम द्वारा रेस्पो. संख्या पांच के आम–मुख्तयार की हैसियत से अपीलाण्ट के पक्ष में वादग्रस्त आराजी में रेस्पो. संख्या 5 के हिस्से की भूमि में से दो बीघा भूमि बाबत दिनांक 23 अप्रेल 2018 को निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख (जिसके संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होना जाहिर किया गया है) में वादग्रस्त आराजियात में रेस्पो. संख्या 5 समादेवी का ⅕ हिस्सा होने का उल्लेख किया गया है और उक्त पंजीबद्ध विक्रय–विलेख पर स्वयं अपीलाण्ट का भी अंगुष्ठ–निशान बतौर केता किया हुआ है। ऐसी स्थिति में मियाद प्रार्थनापत्र सद्भावनापूर्वक एवं सही तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया जाना मानते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की अपील मियाद–बाधित मानते हुए जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28 नवम्बर 2023 को खारिज कर दी गयी। मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रस्तुत नजीरों के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की विनम्र राय में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित एवं विधिसम्मतः प्रतीत होता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदुनसार खारिज की जाती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28 नवम्बर 2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर